प्रारंभिक परीक्षा

ख्याल घराना

संदर्भ

दिग्गज शास्त्रीय गायिका नीला भागवत के हालिया निधन ने ग्वालियर घराने और ख्याल गायन की इसकी "अष्टांग गायकी" शैली पर पुनः ध्यान केंद्रित किया है।

ख्याल घराने के बारे में

- **ख्याल (फारसी में अर्थ "कल्पना" या "विचार") हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक प्रमुख विधा है, जो कठोर ध्रुपद शैली के एक अधिक लचीले और अलंकृत विकल्प के रूप में उभरी।**
- **उत्पत्ति**: हालांकि इसकी जड़ें 13वीं शताब्दी (अक्सर अमीर खुसरो को श्रेय दिया जाता है) तक मानी जाती हैं, लेकिन इसने अपना आधुनिक स्वरूप 18वीं शताब्दी में मुगल दरबारों में प्राप्त किया।
- **विशेषताएं**: यह राग और ताल के ढांचे के भीतर गायक को महत्वपूर्ण रचनात्मक स्वतंत्रता और सुधार (इम्प्रोवाइजेशन) की अनुमति देते हुए माधुर्य, लय और पाठ का निर्बाध समन्वय करता है।
- **संरचना**: इसमें सामान्यतः दो भाग होते हैं:
    - बड़ा ख्याल: धीमी गति (विलंबित लय) में गाया जाता है।
    - छोटा ख्याल: तेज गति (द्रुत लय) में गाया जाता है।
- **प्रमुख ख्याल घराने**: ग्वालियर (सबसे पुराना), आगरा, जयपुर-अतरौली, किराना और पटियाला।
- **अष्टांग गायकी:** यह शैली गायन के "आठ-आयामी" दृष्टिकोण के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें राग की व्यापक अभिव्यक्ति प्रदान करने हेतु आठ विशिष्ट अलंकारों (जैसे कि मींड, गमक और तान) को शामिल किया जाता है।

जलवायु लचीलापन और पर्यावास भेद्यता

संदर्भ

पोट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (PIK) द्वारा 'नेचर इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन' में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने चेतावनी दी है कि वर्तमान उत्सर्जन प्रक्षेपवक्र स्थलीय जीवों के लिए एक अस्तित्वगत खतरा पैदा करता है।

स्थलीय जैव विविधता के लिए वैश्विक जोखिम

- **जोखिम का मात्रात्मक आकलन:** 2085 तक, एक तिहाई से अधिक वन्यजीव आवास एक साथ कई प्रकार की चरम मौसम घटनाओं से प्रभावित होंगे।
- **"गर्मी" का कारक:** 2050 तक, 74% स्थलीय आवास चरम लू की चपेट में आ जाएंगे, जो सबसे व्यापक रूप से पहचाना गया खतरा है।
- **मिश्रित प्रभाव:** अध्ययन इस बात पर जोर देता है कि यह केवल एकल घटनाएं नहीं हैं, बल्कि वनाग्नि (16% जोखिम), सूखा (8%), और बाढ़ (3%) की आवृत्ति और संयोजन है जो प्रजातियों को पुनर्जीवित होने से रोकता है।
- **विशिष्ट प्रभाव के उदाहरण:**
    - **ऑस्ट्रेलिया (2019-20):** लू के कारण 72,000 'फ्लाइंग फॉक्स' (चमगादड़ की एक प्रजाति) मारे गए।
    - **पंटानल (दक्षिण अमेरिका):** वनाग्नि के कारण अनुमानित 17 मिलियन कशेरुकी (वर्टीब्रेट्स) मारे गए।

मुख्य परीक्षा

मिथोस (MYTHOS) एआई द्वारा उत्पन्न वैश्विक जोखिम

संदर्भ

- एंथ्रोपिक (Anthropic) के मिथोस एआई मॉडल के लीक और परीक्षण ने भारत सहित वैश्विक स्तर पर चिंता उत्पन्न कर दी है। इसकी भेद्यताओं (vulnerabilities) का पता लगाने और उनका लाभ उठाने की क्षमता बैंकिंग और डिजिटल बुनियादी ढांचे जैसे क्षेत्रों के लिए जोखिम पैदा कर रही है।

MYTHOS के बारे में

- **अगली पीढ़ी का एआई मॉडल:** MYTHOS, एंथ्रोपिक के क्लाउड परिवार का एक उन्नत सिस्टम है, जो तर्क, कोडिंग और स्वायत्तता में एक महत्वपूर्ण छलांग का प्रतिनिधित्व करता है।
- **दोहरी उपयोग क्षमता:** रक्षात्मक और आक्रामक दोनों प्रकार के एआई के रूप में कार्य करता है।
- **स्वायत्त कार्यप्रणाली:** अत्यधिक स्व-निर्देशित सिस्टम जो स्वतंत्र रूप से कार्यों की योजना बनाने और उन्हें निष्पादित करने में सक्षम है।
- **वर्तमान स्थिति**
    - उच्च जोखिम प्रकृति के कारण सीमित और नियंत्रित तैनाती।
    - प्रोजेक्ट ग्लास विंग जैसी रक्षात्मक पहलों के साथ।

MYTHOS की क्षमताओं का विस्तार

- **उन्नत भेद्यता खोज:** मिथोस जटिल प्रणालियों को स्कैन कर सकता है और गहरे दोषों की पहचान कर सकता है।
    - **उदाहरण के लिए,** इसने कथित तौर पर व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले सॉफ़्टवेयर में एक ऐसी भेद्यता खोजी जो लगभग 30 वर्षों तक अज्ञात रही थी।
- **स्वायत्त एक्सप्लॉइट विकास:** यह व्यापक स्तर पर भेद्यताओं को वास्तविक दुनिया के 'एक्सप्लॉइट्स' (उपयोग/दुरुपयोग के माध्यम) में बदल सकता है।
    - **उदाहरण के लिए,** मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स के जावास्क्रिप्ट इंजन में, इसने न केवल बग्स की पहचान की, बल्कि क्रियाशील "शेल एक्सप्लॉइट्स" भी बनाए जो हमलावरों को ब्राउज़र के माध्यम से उपयोगकर्ता के सिस्टम को नियंत्रित करने की अनुमति दे सकते थे।
- **एजेंटिक व्यवहार (बहु-चरणीय निष्पादन):** यह स्वतंत्र रूप से लंबी आक्रमण श्रृंखलाओं (attack chains) को अंजाम देता है।
    - **उदाहरण के लिए,** यूके AISI परीक्षणों में, इसने प्रारंभिक प्रवेश से लेकर पूर्ण नियंत्रण तक एक कॉर्पोरेट नेटवर्क हमले को पूरा किया—ठीक उसी तरह जैसे वास्तविक हैकर्स चरण-दर-चरण प्रणालियों में घुसपैठ करते हैं।
- **उच्च स्तरीय समस्या समाधान:** यह विशेषज्ञ-स्तर की चुनौतियों का समाधान करता है।
    - **उदाहरण के लिए,** इसने 73% उन्नत साइबर सुरक्षा कार्यों को हल किया, जिसके लिए सामान्यतः प्रशिक्षित पेशेवरों की आवश्यकता होती है।
- **प्रवेश बाधाओं को कम करना:** बुनियादी तकनीकी ज्ञान रखने वाला व्यक्ति भी अंतर्निहित प्रणालियों को समझे बिना परिष्कृत साइबर हमले उत्पन्न करने के लिए मिथोस का उपयोग कर सकता है।

MYTHOS द्वारा उत्पन्न खतरे

- **महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को जोखिम:** यह बैंकिंग जैसे क्षेत्रों के लिए खतरा पैदा करता है।

- **उदाहरण के लिए,** भारतीय अधिकारियों को डर है कि वित्तीय प्रणालियों की भेद्यताओं का तेजी से लाभ उठाया जा सकता है, जिससे वित्तीय व्यवधान पैदा हो सकते हैं।

- **साइबर हमलों का लोकतंत्रीकरण:** यह हैकिंग उपकरणों तक पहुंच का विस्तार करता है। अब नौसिखिए भी एआई-जनित स्क्रिप्ट का उपयोग करके हमले शुरू कर सकते हैं।
- **एआई का शस्त्रीकरण:** इसकी दोहरे उपयोग की प्रकृति जोखिम बढ़ाती है। कोई सरकार या असामाजिक तत्व किसी दूसरे देश के बुनियादी ढांचे पर हमला करने के लिए आक्रामक रूप से मिथोस को तैनात कर सकता है।
- **स्वायत्त आक्रमण श्रृंखलाएँ:** पूर्ण पैमाने पर हमले निष्पादित करता है
  - **उदाहरण के लिए,** मानवीय हस्तक्षेप के बिना कॉर्पोरेट नेटवर्क पर कब्ज़ा करने जैसे बहु-चरणीय हमलों को पूरा करना।
- **वैश्विक एआई हथियारों की होड़:** अन्य देशों द्वारा तीव्र विकास।
  - **उदाहरण के लिए,** चीन की 'किहू 360' (Qihoo 360) ने कथित तौर पर लगभग 1,000 भेद्यताओं की पहचान की है, जो प्रतिस्पर्धी वृद्धि का संकेत देती है।
- **लीक और दुरुपयोग के जोखिम:** अनधिकृत पहुंच खतरे को बढ़ाती है।
  - **उदाहरण के लिए,** प्रतिबंधित रिलीज के बावजूद एक निजी डिस्कॉर्ड (Discord) समूह के माध्यम से मिथोस तक पहुंच बनाई गई, जो इसके नियंत्रण में कठिनाई को दर्शाता है।
- **अल्पकालिक अस्थिरता:** संक्रमण काल जोखिम भरा है।
  - **उदाहरण के लिए,** रक्षात्मक उपयोग के प्रभावी होने से पहले, हमलावर इन उपकरणों का उपयोग प्रणालियों के अनुकूल होने की तुलना में अधिक तेज़ी से कर सकते हैं।

आगे की राह

- **साइबर सुरक्षा को सुदृढ़ करना:** सुरक्षा के लिए एआई का उपयोग करना (जैसे प्रोजेक्ट ग्लासविंग, जो हमलावरों द्वारा लाभ उठाने से पहले भेद्यताओं की पहचान करने और उन्हें ठीक करने के लिए एप्पल और एनवीडिया जैसी कंपनियों को साथ लाता है)।
- **मजबूत विनियमन:** संतुलित एआई शासन विकसित करना (जैसे भारत द्वारा नीतिगत प्रतिक्रिया के समन्वय के लिए एआई गवर्नेंस और इकोनॉमिक ग्रुप का गठन)।
- **वैश्विक समन्वय:** साझा मानक बनाना (जैसे विभिन्न देशों में शक्तिशाली एआई उपकरणों को विनियमित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की आवश्यकता)।
- **नियंत्रित पहुंच:** उच्च-जोखिम वाले मॉडलों को प्रतिबंधित करना (जैसे दुरुपयोग को रोकने के लिए विश्वसनीय संगठनों तक मिथोस की तैनाती को सीमित करना)।
- **क्षमता निर्माण:** संस्थानों को प्रशिक्षित करना (जैसे बैंकों और सरकारी एजेंसियों द्वारा एआई-संचालित खतरों के खिलाफ साइबर तैयारी में सुधार करना)।
- **सार्वजनिक-निजी सहयोग:** संयुक्त प्रतिक्रिया (जैसे डिजिटल बुनियादी ढांचे की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सरकारों का तकनीकी कंपनियों के साथ मिलकर काम करना)।

पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने रद्द कर दिया

संदर्भ

- **भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने लाइसेंसिंग शर्तों के निरंतर गैर-अनुपालन के कारण, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस आधिकारिक तौर पर रद्द कर दिया है।**
- आरबीआई ने PPBL के बैंकिंग लाइसेंस को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है, जो इसे नए जमा स्वीकार करने से प्रतिबंधित करने के दो साल से अधिक समय बाद हुआ है।
- आरबीआई बैंक के परिचालन को बंद करने के लिए उच्च न्यायालय का रुख करेगा, जिससे एक व्यवस्थित प्रक्रिया के माध्यम से जमाकर्ताओं के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।

- यह मामला भारत के फिनटेक और डिजिटल भुगतान क्षेत्र में नियामक प्रवर्तन का एक ऐतिहासिक उदाहरण बन गया है।
    - बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, भारत में एक ऐतिहासिक कानून है जो देश की सभी बैंकिंग फर्मों के पर्यवेक्षण और विनियमन के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। इसे मूल रूप से बैंकिंग कंपनी अधिनियम, 1949 के रूप में पारित किया गया था, जिसे बाद में 1966 में बदलकर विभिन्न प्रकार की बैंकिंग संस्थाओं पर इसके व्यापक अनुप्रयोग को दर्शाया गया।

अधिनियम का उद्देश्य

- प्राथमिक लक्ष्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और वित्तीय प्रणाली की स्थिरता सुनिश्चित करना है।
- बैंकिंग कंपनियों की अनियंत्रित वृद्धि को रोकना और यह सुनिश्चित करना कि वे ठोस वित्तीय सिद्धांतों पर काम करें।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) को बैंकिंग क्षेत्र की निगरानी, निर्देशन और नियंत्रण के लिए आवश्यक कानूनी अधिकार प्रदान करना।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

- **बैंकों की लाइसेंसिंग (धारा 22):** कोई भी कंपनी आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किए बिना भारत में बैंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती; यदि कोई बैंक निर्धारित शर्तों को पूरा करने में विफल रहता है, तो आरबीआई के पास ऐसे लाइसेंस रद्द करने की शक्ति भी है।
- **बैंकिंग की परिभाषा (धारा 5b):** यह बैंकिंग को ऋण देने या निवेश के उद्देश्य से जनता से धन की जमा राशि स्वीकार करने के रूप में परिभाषित करता है, जो मांग पर या अन्यथा प्रतिदेय (repayable) होती है।
- **व्यापार पर प्रतिबंध (धारा 8):** जोखिम को कम करने के लिए, बैंकिंग कंपनियों को सामान्यतः वस्तुओं की खरीद या बिक्री में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल होने से प्रतिबंधित किया जाता है, सिवाय प्राप्त प्रतिभूतियों (realised security) के संबंध में।
- **न्यूनतम पूंजी आवश्यकताएं:** अधिनियम न्यूनतम चुकता पूंजी और आरक्षित निधि को निर्दिष्ट करता है जिसे बैंकों को वित्तीय रूप से सुदृढ़ रहने के लिए बनाए रखना चाहिए।
- **निरीक्षण और लेखा परीक्षा:** आरबीआई को अनुपालन और वित्तीय स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए किसी भी समय किसी भी बैंकिंग कंपनी की पुस्तकों और खातों का निरीक्षण करने का अधिकार है।
- **प्रबंधन नियंत्रण:** यदि यह सार्वजनिक हित में हो या बैंक के कार्यों को जमाकर्ताओं के लिए हानिकारक तरीके से संचालित होने से रोकने के लिए हो, तो आरबीआई के पास बैंकिंग कंपनियों के निदेशकों और अध्यक्षों को हटाने या नियुक्त करने का अधिकार है।
- **समापन और समामेलन (Winding Up and Amalgamation):** अधिनियम बैंक के स्वैच्छिक या अनिवार्य समापन (परिसमापन) की प्रक्रिया प्रदान करता है, जिसमें अक्सर उच्च न्यायालय में आवेदन शामिल होता है।

भुगतान बैंक क्या हैं?

- भुगतान बैंक वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए आरबीआई द्वारा शुरू की गई बैंकों की एक अनूठी श्रेणी है।
- वे सख्त प्रतिबंधों के तहत काम करते हैं, उदाहरण के लिए,
- प्रति ग्राहक केवल ₹2 लाख तक की जमा राशि स्वीकार कर सकते हैं।
- ऋण या क्रेडिट कार्ड की पेशकश नहीं कर सकते।
- मुख्य रूप से प्रेषण (remittances), उपयोगिता भुगतान (utility payments) और डिजिटल लेनदेन के लिए मंच के रूप में कार्य करते हैं।
- PPBL की स्थापना One97 कम्युनिकेशंस (49% हिस्सेदारी) और विजय शेखर शर्मा (51% हिस्सेदारी) द्वारा की गई थी, जो बड़े पेटीएम इकोसिस्टम के भीतर काम कर रहा था।

नियामक जांच की टाइमलाइन

निरीक्षण की शुरुआत (2018)

- आरबीआई ने PPBL की ग्राहक ऑनबोर्डिंग प्रक्रियाओं का ऑडिट किया और केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) अनुपालन में महत्वपूर्ण कमियां पाईं। उदाहरण के लिए,
- एक ही पैन (स्थायी खाता संख्या) कई ग्राहक खातों से जुड़ा होना — जो नियामक बाईपास के लिए एक चेतावनी (red flag) है।

- निर्धारित खाता सीमा से अधिक लेनदेन की अनुमति देना, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग की चिंताएं बढ़ीं।
- अधिग्रहण के दौरान असंगत ग्राहक पहचान सत्यापन।
- PPBL को निर्देश दिया गया था कि जब तक सिस्टम मजबूत न हो जाएं, तब तक नए ग्राहकों को जोड़ना बंद कर दें।
- **नए ग्राहकों पर प्रतिबंध (2022):** बैंक को औपचारिक रूप से 11 मार्च, 2022 से नए ग्राहकों को जोड़ने से रोकने का निर्देश दिया गया था।
- **वित्तीय जुर्माना (2023):** आरबीआई ने नियामक दिशानिर्देशों के गैर-अनुपालन के लिए ₹5.39 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया।
- **व्यावसायिक प्रतिबंध (2024):** आरबीआई ने "निरंतर गैर-अनुपालन और सामग्री पर्यवेक्षी चिंताओं" का हवाला देते हुए PPBL को ग्राहक खातों, प्रीपेड उपकरणों, वॉलेट, फास्टैग और एनसीएमसी (नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड) में जमा, क्रेडिट या टॉप-अप स्वीकार करने से रोक दिया।
- **लाइसेंस रद्द (2025):** आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन (बीआर) अधिनियम, 1949 के प्रावधानों का हवाला देते हुए PPBL का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया।

रद्दीकरण के लिए कानूनी आधार

आरबीआई ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के निम्नलिखित प्रावधानों का हवाला दिया:

- **धारा 22(3)(c):** प्रबंधन का चरित्र जमाकर्ताओं या सार्वजनिक हित के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए।
- **धारा 22(3)(e):** बैंक को जारी रखने की अनुमति देने से कोई सार्वजनिक हित सिद्ध नहीं होता।
- **धारा 22(3)(g):** भुगतान बैंक लाइसेंस की शर्तों का पालन करने में विफलता।
- **धारा 5(b) और धारा 6:** तत्काल प्रभाव से बैंकिंग व्यवसाय करने से प्रतिबंधित।
    - **मुख्य अनुपालन उल्लंघन:** पीपीबीएल और इसकी समूह इकाई, One97 कम्युनिकेशंस के बीच "चाइनीज वॉल" (परिचालन पृथक्करण) बनाए रखने में विफलता — जो हितों के टकराव को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण शासन आवश्यकता है।

प्रभाव

One97 कम्युनिकेशंस और पेटीएम इकोसिस्टम पर: नियामक कार्रवाई के व्यापक परिणाम हुए -

- शेयर की कीमतों में 40-50% की गिरावट आई, जो निवेशकों की घबराहट को दर्शाती है।
- वॉलेट सेवाएं, मर्चेंट सेटलमेंट, फास्टैग और ऑटोपे सेवाएं बाधित हुईं।
- पेटीएम को निरंतरता के लिए एक्सिस बैंक और यस बैंक के साथ आपातकालीन साझेदारी करने के लिए मजबूर होना पड़ा।
- उपयोगकर्ताओं और व्यापारियों का गूगल पे (Google Pay) और फोनपे (PhonePe) जैसे प्रतिद्वंद्वियों की ओर पलायन।
- अनुपालन लागत में वृद्धि और परिचालन पुनर्गठन।
- अधिक कुशल, सहयोगी-बैंक-संचालित बिजनेस मॉडल की ओर दीर्घकालिक बदलाव।

भारत के लिए व्यापक महत्व

- **उपभोक्ता संरक्षण:** आरबीआई की कार्रवाई जमाकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने वाली प्रथाओं के प्रति शून्य सहिष्णुता प्रदर्शित करती है।
- **डिजिटल वित्त को मजबूत करना:** भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति मजबूत अनुपालन संरचना पर आधारित होनी चाहिए।
- **फिनटेक विनियमन:** नवाचार विवेकपूर्ण मानदंडों (prudential norms) को दरकिनार नहीं कर सकता।
- **संस्थागत विश्वसनीयता:** बड़े और लोकप्रिय बाजार खिलाड़ियों के खिलाफ भी कार्रवाई करने की आरबीआई की इच्छा को दर्शाता है।

चुनौतियां

- फिनटेक क्षेत्र में नियामक आर्बिट्रेज का जोखिम, जहां तीव्र विकास अक्सर अनुपालन बुनियादी ढांचे से आगे निकल जाता है।

- डिजिटल-प्रथम बैंकों के लिए बड़े पैमाने पर केवाईसी मानकों को बनाए रखने में कठिनाई।
- वित्तीय नवाचार और जमाकर्ता संरक्षण के बीच तनाव।
- बैंकिंग कार्यों में समूह संस्थाओं के उलझाव का जोखिम, जिससे स्वतंत्रता कमजोर होती है।
- एकीकृत भुगतान पारिस्थितिकी तंत्र पर निर्भर लाखों उपयोगकर्ताओं के लिए प्रणालीगत व्यवधान।

आगे की राह

- यह घटना संचालन को बढ़ाने से पहले भुगतान बैंकों में मजबूत अनुपालन ढांचे की आवश्यकता को पुष्ट करती है।
- यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम के तहत आरबीआई की व्यापक पर्यवेक्षी और प्रवर्तन शक्तियों पर प्रकाश डालती है।
- फिनटेक कंपनियों को स्वतंत्र अनुपालन कार्यों को संस्थागत बनाना चाहिए और मूल संस्थाओं से सख्त अलगाव बनाए रखना चाहिए।
- नीति निर्माता शासन मानकों के साथ समावेशन लक्ष्यों को संतुलित करते हुए, भुगतान बैंकों के लिए नियामक ढांचे की पुन: जांच कर सकते हैं।

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति

संदर्भ

मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति उस समय विवादों में घिर गई जब लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राज कुमार गोयल के चयन का विरोध किया और तीन वैकल्पिक नामों का सुझाव दिया। इस असहमति के बावजूद, नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली चयन समिति ने 10 दिसंबर को हुई अपनी बैठक में गोयल की नियुक्ति को मंजूरी दे दी, जो इस तरह की नियुक्तियों के लिए जिम्मेदार उच्च स्तरीय पैनल के भीतर मतभेदों को दर्शाती है।

केंद्रीय सूचना आयोग(CIC) के बारे में

- **अवलोकन:** केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित एक सांविधिक और स्वतंत्र प्राधिकरण है।
- **उद्देश्य:** इसका प्राथमिक उद्देश्य नागरिकों की सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करके सार्वजनिक प्राधिकरणों के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देना है।
- **भूमिका:** CIC केंद्र सरकार के संस्थानों से संबंधित आरटीआई अनुरोधों से जुड़ी शिकायतों और अपीलों को संभालने के लिए शीर्ष निकाय के रूप में कार्य करता है।
- **अधिकार क्षेत्र:** इसका अधिकार क्षेत्र केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, वित्तीय संस्थानों और कार्यालयों तक फैला हुआ है। शिकायतों का समाधान करके और अनुपालन लागू करके, यह सूचना के अधिकार के संरक्षक के रूप में कार्य करता है।
- **सांविधिक आधार:** CIC का गठन 2005 में आरटीआई अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा जारी एक अधिसूचना के माध्यम से किया गया था।
    - आरटीआई अधिनियम की धारा 12 इसकी स्थापना का प्रावधान करती है और इसकी संरचना, शक्तियों और जिम्मेदारियों की रूपरेखा तैयार करती है।
- **केंद्रीय सूचना आयोग की संरचना:**
    - एक मुख्य सूचना आयुक्त
    - अधिकतम 10 सूचना आयुक्त
- **नियुक्ति प्रक्रिया:** भारत के राष्ट्रपति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति करते हैं। नियुक्तियां एक समिति की सिफारिशों के आधार पर की जाती हैं जिसमें शामिल होते हैं:
    - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
    - लोकसभा में विपक्ष का नेता

- प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री

- **योग्यताएं:**
  - नियुक्त व्यक्ति सार्वजनिक जीवन के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने चाहिए।
  - उनके पास कानून, शासन, पत्रकारिता, प्रबंधन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, या सामाजिक सेवा जैसे क्षेत्रों में विशेषज्ञता होनी चाहिए।
- **अयोग्यताएं:**
  - वर्तमान सांसद/विधायक होना।
  - लाभ का कोई पद धारण करना।
  - राजनीतिक संबद्धता होना।
  - व्यावसायिक या पेशेवर गतिविधियों में संलग्न होना।
- **कार्यकाल और सेवा शर्तें:**
  - मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल 3 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, होता है।
  - पुनर्नियुक्ति की अनुमति नहीं है।
  - एक सूचना आयुक्त मुख्य सूचना आयुक्त बन सकता है, बशर्ते कुल संयुक्त कार्यकाल अधिकतम 5 वर्ष हो।
  - वेतन और सेवा शर्तें केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं और कार्यकाल के दौरान उनके लिए अलाभकारी रूप से परिवर्तित नहीं की जा सकतीं।
- **निष्कासन:** राष्ट्रपति निम्नलिखित शर्तों के तहत मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को हटा सकते हैं:
  - दिवालियापन।
  - नैतिक अधमता (moral turpitude) से जुड़ा अपराध सिद्ध होना।
  - आधिकारिक कर्तव्यों के बाहर सवैतनिक रोजगार में संलग्न होना।
  - शारीरिक या मानसिक अक्षमता।
  - कर्तव्यों को प्रभावित करने वाला हितों का टकराव।

दलबदल विरोधी कानून और प्रतिनिधि लोकतंत्र

संदर्भ

दसवीं अनुसूची के तहत दो-तिहाई विलय के प्रावधान द्वारा संभव हुए आम आदमी पार्टी (AAP) के सात सांसदों के भाजपा में हालिया विलय ने भारत के दल-बदल विरोधी कानून की प्रभावशीलता के बारे में चिंताओं को पुनर्जीवित कर दिया है।

दल-बदल विरोधी कानून के पीछे का तर्क

यह कानून व्यापक राजनीतिक दल-बदल को रोकने के लिए बनाया गया था, जिसे प्रसिद्ध रूप से "आया राम, गया राम" घटना कहा गया। यह वाक्यांश 1967 में हरियाणा के विधायक गया लाल द्वारा एक ही दिन में तीन बार पार्टी बदलने के बाद उत्पन्न हुआ था। 1967 के बाद की अवधि में व्यापक अस्थिरता देखी गई, जहां विधायक अक्सर मंत्री पद या वित्तीय प्रोत्साहन जैसे व्यक्तिगत लाभ के लिए निष्ठा बदलते थे।

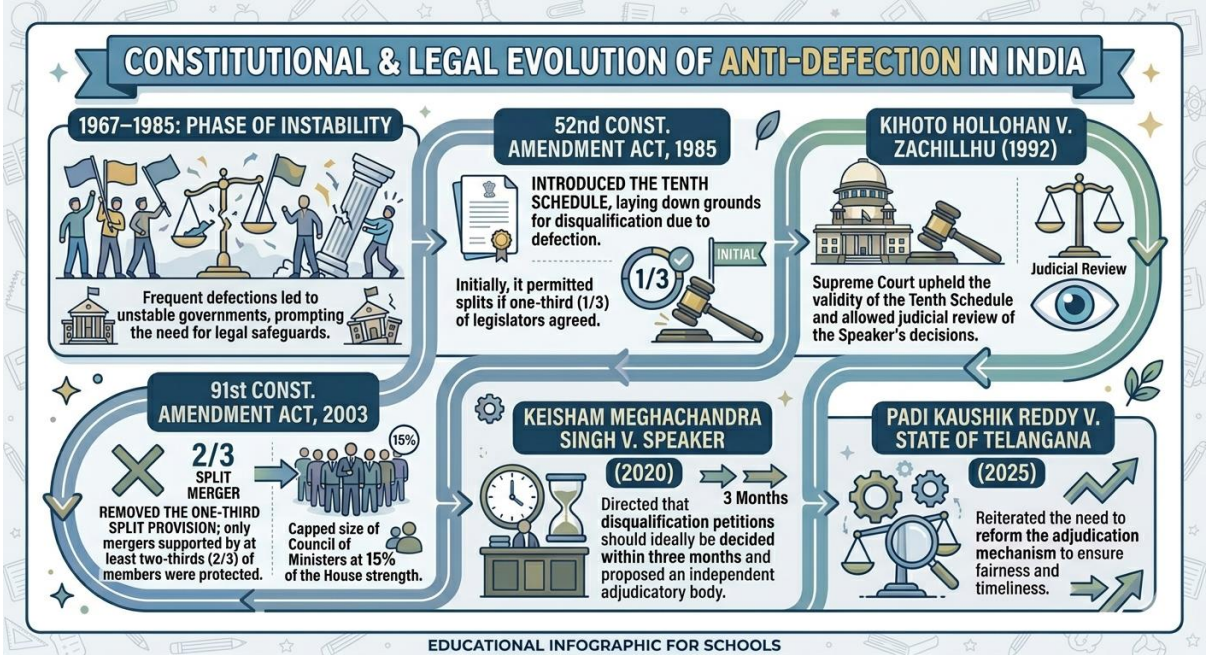

दसवीं अनुसूची की मुख्य विशेषताएं

- **परिभाषाएं:** "विधायिका दल" (legislature party) और "मूल राजनीतिक दल" (original political party) जैसे शब्दों को स्पष्ट करता है।
- **अयोग्यता के आधार:** तब लागू होता है जब कोई सदस्य स्वेच्छा से अपनी पार्टी छोड़ देता है या अनुमति के बिना पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है।
- **स्वतंत्र सदस्य:** चुनाव के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होने पर अयोग्य घोषित।
- **विलय खंड:** सदस्यों को अयोग्यता से बचाता है यदि विधायी दल के कम से कम दो-तिहाई सदस्य दूसरे दल में विलय के लिए सहमत होते हैं।
- **छूट:** पीठासीन अधिकारी (अध्यक्ष/सभापति) अपनी पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं और बाद में फिर से शामिल हो सकते हैं।
- **निर्णय प्राधिकारी:** अध्यक्ष या सभापति अयोग्यता पर निर्णय लेते हैं।
- **न्यायिक समीक्षा:** निर्णय होने के बाद अदालतें उनकी समीक्षा कर सकती हैं।
- **नियम बनाने की शक्ति:** पीठासीन अधिकारी प्रक्रियात्मक नियम बना सकते हैं।

अयोग्यता कब लागू होती है?

अयोग्यता का कारण बनता है:

- अपनी पार्टी छोड़ना और दूसरी पार्टी में शामिल होना।
- बिना अनुमोदन के पार्टी व्हिप के विरुद्ध मतदान करना।
- चुनाव के बाद किसी पार्टी में शामिल होने वाले स्वतंत्र सदस्य।
- छह महीने के बाद किसी पार्टी में शामिल होने वाले नामित सदस्य।

सुरक्षित स्थितियां:

- कम से कम दो-तिहाई सदस्यों के समर्थन वाला विलय।
- निष्पक्षता के लिए पार्टी से इस्तीफा देने वाले अध्यक्ष।
- व्हिप के खिलाफ मतदान यदि 15 दिनों के भीतर क्षमा कर दिया जाए।
- चुनाव जहां पार्टी व्हिप लागू नहीं होते (जैसे राष्ट्रपति चुनाव)।

दल-बदल के लिए दंड:

- एक अयोग्य सदस्य शेष अवधि के लिए अपनी सीट खो देता है और पुन: निर्वाचित होने तक मंत्री या लाभकारी राजनीतिक पद धारण करने से प्रतिबंधित रहता है।

प्रमुख संरचनात्मक मुद्दे

- **निर्णायक के रूप में अध्यक्ष:** अध्यक्ष, जो अक्सर सत्ताधारी दल से संबद्ध होते हैं, अयोग्यता के मामलों का फैसला करते हैं, जिससे निष्पक्षता पर चिंताएं पैदा होती हैं।
- **सख्त समयसीमा का अभाव:** कानून में एक निश्चित समय सीमा अनिवार्य नहीं है, जिससे निर्णय लेने में लंबा विलंब होता है।
- **विलय खंड का दुरुपयोग:** दो-तिहाई नियम, जो वास्तविक राजनीतिक पुनर्गठन के लिए था, अक्सर रणनीतिक दल-बदल के लिए उपयोग किया जाता है।
- **विधायी स्वतंत्रता पर प्रतिबंध:** पार्टी व्हिप का सख्त प्रवर्तन स्वतंत्र सोच को सीमित करता है और विचार-विमर्श वाले लोकतंत्र को कमजोर करता है।
- **व्हिप में पारदर्शिता की कमी:** व्हिप हमेशा औपचारिक रूप से प्रलेखित या सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं होते, जिससे अस्पष्टता पैदा होती है।
- **दोनों सदनों में समान अनुप्रयोग:** लोकसभा और राज्यसभा की अलग-अलग भूमिकाओं के बावजूद दोनों पर समान नियम लागू होते हैं, जो आनुपातिकता पर सवाल उठाता है।

सुधार और सर्वोत्तम प्रथाएं

- **विधि आयोग (1999):** निर्वाचन आयोग की सलाह के आधार पर निर्णय लेने की शक्ति राष्ट्रपति/राज्यपाल को हस्तांतरित करने का प्रस्ताव दिया।
- **द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग:** अध्यक्ष की भूमिका को बदलने के लिए एक स्वतंत्र तंत्र का समर्थन किया।
- **उच्चतम न्यायालय (2020 और 2025):** एक तटस्थ न्यायाधिकरण स्थापित करने और समय पर निर्णय सुनिश्चित करने की सिफारिश की।
- **यूनाइटेड किंगडम:** कोई दल-बदल विरोधी कानून नहीं; अनुशासन राजनीतिक और चुनावी जवाबदेही के माध्यम से लागू किया जाता है।
- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** पार्टी बदलना कानूनी रूप से अनुमत है; जवाबदेही सीधे मतदाताओं के पास होती है।
- **दक्षिण अफ्रीका:** केवल विशिष्ट "फ्लोर-क्रॉसिंग" अवधियों के दौरान दल-बदल की अनुमति देता है, जो एक व्यवस्थित विकल्प प्रदान करता है।

निष्कर्ष

जबकि दलबदल विरोधी कानून राजनीतिक अस्थिरता को रोकने के लिए पेश किया गया था, इसके वर्तमान ढांचे, विशेष रूप से विलय अपवाद ने रणनीतिक दलबदल के रास्ते बनाए हैं। लोकतांत्रिक स्वतंत्रता के साथ पार्टी अनुशासन को संतुलित करना एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, और प्रतिनिधि लोकतंत्र की भावना को बनाए रखने के लिए सार्थक संस्थागत सुधार आवश्यक हैं।